उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रस्ताव प्रारूप

पत्रांकः 86 / उ0जै0विवो–4–36

दिनांकः 20 अगस्त, 2026

अंतिम तिथिः 20 सितम्बर, 2026

---

1. पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। इस जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ–साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees–BMCs) के माध्यम से क्षेत्र–आधारित प्रस्ताव तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रत्येक BMC अपने क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों, उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय समस्याओं तथा समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक और परिणाम देने वाले प्रस्ताव तैयार कर सकती है।

BMC आवश्यकता के अनुसार कृषि, उद्यान, वन, सहकारिता, ग्राम्य विकास / पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य, पर्यटन आदि संबंधित विभागों के साथ–साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों और स्थानीय समुदायों तथा NGOs, स्वयं सहायता समूहों का सहयोग भी ले सकती है।

---

2. प्रस्ताव का उद्देश्य

प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिए–

- स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन।
- स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना।
- स्थानीय समुदायों की सहभागिता से संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- जैव विविधता आधारित आजीविका के अवसर विकसित करना।
- स्थानीय पारंपरिक ज्ञान एवं प्रथाओं का संरक्षण और दस्तावेजीकरण।
- स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के प्रति जागरूकता एवं क्षमता निर्माण।
- जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समस्याओं का समाधान करना।
- BMC एवं स्थानीय समुदायों की क्षमता को मजबूत करना।

- संबंधित विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों (NGOs) अन्य संस्थाओं के सहयोग से क्षेत्र–विशिष्ट गतिविधियों को आगे बढ़ाना।

3. प्रस्ताव कौन तैयार कर सकता है?

प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र की **जैव विविधता प्रबंधन समिति** (BMC)द्वारा तैयार किया जाएगा।

आवश्यकता के अनुसार BMC निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार कर सकती है–

- कृषि विभाग
- उद्यान विभाग
- वन विभाग
- सहकारिता विभाग
- ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग
- पशुपालन विभाग
- मत्स्य विभाग
- पर्यटन विभाग
- स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका से संबंधित संस्थाएं
- स्थानीय निकाय
- शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान
- स्थानीय समुदाय एवं अन्य संबंधित संस्थाएं
- गैर–सरकारी संगठन (NGOs)

प्रस्ताव क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। किसी ऐसी गतिविधि को प्रस्ताव में शामिल न किया जाए जिसके लिए किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पहले से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही हो।

4. प्रस्ताव तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए–

क्षेत्र की वास्तविक स्थिति

प्रस्ताव जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) के वास्तविक क्षेत्र और वहां उपलब्ध जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होना चाहिए।

संरक्षण और आजीविका में संतुलन

ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए जिनसे जैव विविधता का संरक्षण होने के साथ–साथ स्थानीय लोगों की आय और आजीविका में भी सुधार हो।

स्थानीय समुदाय की भागीदारी

महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, किसानों, युवाओं, पारम्परिक चिकित्सक और अन्य स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

परिणाम आधारित कार्ययोजना

प्रस्ताव में केवल गतिविधियों की सूची न दी जाए। प्रत्येक गतिविधि से क्या परिणाम प्राप्त होंगे और कितने लोग/परिवार लाभान्वित होंगे, यह स्पष्ट रूप से बताया जाए।

---

5. प्रस्ताव में शामिल की जा सकने वाली प्रमुख गतिविधियां

A. जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन

BMC अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार निम्न गतिविधियां प्रस्तावित कर सकती है–

- स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन।
- संकटग्रस्त, दुर्लभ एवं स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए गतिविधियां।
- स्थानीय जैव विविधता हॉटस्पॉट का संरक्षण।
- प्राकृतिक आवासों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन।
- पारंपरिक एवं स्थानीय पौध प्रजातियों का संरक्षण।
- परागणकर्ता (Pollinator) प्रजातियों के संरक्षण के लिए पौधरोपण।
- औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन।
- स्थानीय जैव संसाधनों का सतत उपयोग।

B. प्राकृतिक संसाधन संरक्षण

- जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन।
- नौलों, धारों, गदेरो एवं अन्य स्थानीय जल निकायों का संरक्षण।
- मृदा एवं जल संरक्षण।
- प्राकृतिक आवासों का पुनर्जीवन।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Species) का नियंत्रण/उन्मूलन।

C- जैव विविधता आधारित आजीविका

- मधुमक्खी पालन (Beekeeping)।
- परागण आधारित गतिविधियां।

- औषधीय एवं सुगंधित पौधों की नर्सरी।
- स्थानीय एवं देशज पौधों की नर्सरी।
- जैव विविधता आधारित हस्तशिल्प।
- स्थानीय जैव संसाधनों से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करना।
- स्थानीय खाद्य एवं पारंपरिक उत्पादों का संरक्षण एवं विपणन।
- महिलाओं एवं युवाओं के लिए जैव विविधता आधारित स्वरोजगार।
- मशरूम पालन (Mushroom Farming)।

D. जैव विविधता संबंधी ज्ञान एवं दस्तावेजीकरण

- स्थानीय जैव विविधता का दस्तावेजीकरण।
- पारंपरिक ज्ञान एवं स्थानीय प्रथाओं का दस्तावेजीकरण।
- स्थानीय जैव संसाधनों की पहचान एवं सूचीकरण।
- People's Biodiversity Register (PBR) के अद्यतन में सहयोग।
- स्थानीय समुदायों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण।

E- क्षमता निर्माण एवं जागरूकता

- BMC सदस्यों का प्रशिक्षण।
- स्थानीय समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में Biodiversity Clubs को बढ़ावा देना।
- जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार।
- महिलाओं एवं युवाओं की जैव विविधता संरक्षण में सहभागिता।

---

6. प्रस्ताव में दी जाने वाली अनिवार्य जानकारी

प्रत्येक प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए—

1. BMC का नाम।
2. ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का नाम।
3. विकासखंड एवं जनपद।

4. BMC के गठन/पुनर्गठन की जानकारी।

5. BMC अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव का विवरण।

6. क्षेत्र की जनसंख्या एवं प्रमुख सामाजिक समूहों का संक्षिप्त विवरण।

7. क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां, जीव–जंतु, औषधीय पौधे एवं देशज प्रजातियां।

8. क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख पारंपरिक ज्ञान।

9. जैव विविधता के समक्ष प्रमुख खतरे।

10. प्रस्तावित गतिविधि की आवश्यकता एवं औचित्य।

11. प्रस्तावित क्षेत्रों में जैव विविधता को क्या नुकसान हुऐ है।

12. प्रस्तावित क्षेत्र की जलवायु।

7. प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि का विवरण

प्रत्येक गतिविधि के लिए निम्नलिखित जानकारी दी जाए–

क्र.	विवरण
1	गतिविधि का नाम
2	गतिविधि का उद्देश्य
3	गतिविधि का स्थान
4	लाभार्थियों की संख्या
5	लक्षित समुदाय
6	जैव विविधता से संबंध
7	प्रस्तावित कार्य
8	गतिविधि की अवधि
9	अपेक्षित परिणाम
10	अनुमानित लागत
11	अन्य विभागध्संस्था का सहयोग
12	BMC का योगदान
13	गतिविधि को जारी रखने की योजना

8. बजट तैयार करने संबंधी निर्देश

प्रस्ताव में प्रत्येक गतिविधि का गतिविधिवार एवं मदवार अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

बजट वास्तविक एवं प्रचलित दरों के आधार पर तैयार किया जाए। आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग की प्रचलित **SOR/दर** का संदर्भ लिया जा सकता है।

उदाहरण के रूप में बजट को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

क्र.	**गतिविधि**	**प्रमुख मद**	**अनुमानित लागत (₹)**
1.	क्षमता निर्माण	प्रशिक्षण/सामग्री/अन्य	
2.	नर्सरी विकास	पौध, सामग्री आदि	
3.	जल स्रोत पुनर्जीवन	कार्य/सामग्री आदि	
4.	मधुमक्खी पालन	प्रशिक्षण/उपकरण आदि	
5.	जागरूकता	IEC/प्रचार सामग्री	
		कुल ₹	

---

9. NGO एवं अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग

BMC आवश्यकता के अनुसार स्थानीय, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, NGOs या तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कर सकती है।

ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के साथ संबंधित संस्था की–

- संक्षिप्त प्रोफाइल,
- पूर्व कार्यों का अनुभव,
- प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमिका तथा
- तकनीकी सहयोग का विवरण

संलग्न किया जाना चाहिए।

---

10. अपेक्षित परिणाम

प्रस्ताव में गतिविधियों से प्राप्त होने वाले स्पष्ट और मापनीय परिणाम दिए जाएं। उदाहरण के लिए–

- कितने जैव विविधता क्षेत्रों का संरक्षण/पुनर्जीवन होगा।
- कितने जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा।
- कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कितने परिवार लाभान्वित होंगे।

- नर्सरी की क्षमता कितनी विकसित होगी (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)।
- कितने परिवारों को आजीविका का लाभ मिलेगा।
- कितनी स्थानीय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण/संरक्षण किया जाएगा।
- महिलाओं एवं युवाओं की कितनी सहभागिता होगी।
- जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता में क्या सुधार आएगा।

---

11. गतिविधियों की स्थायित्व योजना

प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया जाए कि बोड/परियोजना से प्राप्त सहयोग समाप्त होने के बाद गतिविधि को किस प्रकार जारी रखा जाएगा।

इसके लिए निम्न व्यवस्थाएं की जा सकती हैं–

- BMC द्वारा नियमित निगरानी।
- स्थानीय समुदाय द्वारा रखरखाव।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा गतिविधि का संचालन।
- संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग।
- गतिविधि से प्राप्त आय का पुनर्निवेश।
- स्थानीय संस्थाओं द्वारा संरक्षण एवं प्रबंधन।

12. प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

प्रस्ताव के साथ उपलब्ध/लागू दस्तावेज संलग्न किए जाएं–

1. ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की सहमति पत्र, जहां आवश्यक हो।
2. प्रस्तावित स्थल का विवरण।
3. प्रस्तावित स्थल के फोटो।
4. उपलब्ध होने पर Location Map/GIS Map
5. गतिविधि का विस्तृत अनुमान।
6. लाभार्थियों की अनुमानित सूची/संख्या।
7. संबंधित विभाग/संस्था का सहमति/सहयोग पत्र, जहां लागू हो।
8. NGO/अन्य संस्था के सहयोग की स्थिति में संबंधित संस्था का विवरण।
9. अन्य आवश्यक तकनीकी दस्तावेज।

---

13. प्रस्तावों की जांच एवं अनुमोदन

प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण एवं अनुमोदन किया जाएगा।

परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है–

- गतिविधि की आवश्यकता एवं औचित्य।
- जैव विविधता संरक्षण से संबंध।
- स्थानीय समुदाय को होने वाला लाभ।
- आजीविका पर संभावित प्रभाव।
- तकनीकी व्यवहार्यता।
- बजट की उपयुक्तता।
- गतिविधि की स्थायित्व योजना।
- BMC एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता।
- अपेक्षित एवं मापनीय परिणाम।

---

14. महत्वपूर्ण निर्देश

प्रस्ताव केवल सामान्य गतिविधियों की सूची नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में यह स्पष्ट होना चाहिए कि BMC के क्षेत्र में जैव विविधता से संबंधित वास्तविक समस्या क्या है, उपलब्ध संसाधन क्या हैं, संरक्षण की आवश्यकता क्या है और प्रस्तावित गतिविधि से स्थानीय समुदाय को किस प्रकार लाभ मिलेगा।

जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आजीविका से जुड़ी गतिविधियों का चयन स्थानीय जैव संसाधनों एवं जैव विविधता के सतत उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

प्रस्ताव में दिए गए सभी आंकड़े, लाभार्थियों की संख्या, लागत तथा अन्य विवरण यथासंभव वास्तविक एवं सत्यापन योग्य होने चाहिए।

---

15. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 20 सितम्बर, 2026 ।

प्रस्ताव डाक सेवा या व्यक्तिगत सुपुर्दगी के माध्यम से कार्यालय, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को उपलब्ध कराया जा सकता है।

---

16. संपर्क

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून

01 IV एवं 02 IV, न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून–248006।

ई–मेल: sbbuttarakhand@gmail.com

वेबसाइटः sbb-uk.gov.in

मोबाइल नंबरः 8954788334